विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 22 / 2026

सस्थित दिनांक 09.06.2026

श्री प्रभाकर मिश्रा, ...परिवादी

पता – सृष्टि विहार के सामने,

हीरापुर रोड़, रायपुर (छ.ग.)

बी.पी.क्रमांक – 1000598284

मोबाईल नं. : 94079–83046

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 23 / 06 / 2026 को घोषित)

परिवादी द्वारा अपने परिसर में किए जा रहे विद्युत के वास्तविक उपयोग की तुलना में उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं मीटर की जांच कर देयक में सुधार किए जाने के निवेदन के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. सृष्टि विहार के सामने, हीरापुर रोड रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 820 वाट भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.कमांक 1000598284 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को माह अप्रेल 2026 एवं मई 2026 का देयक कमशः 880 यूनिट एवं 389 यूनिट का प्रेषित किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

विगत कुछ महीनों से उत्तरवादी द्वारा सामान्य से अधिक खपत एवं तद्नुसार अधिक राशि का देयक प्रेषित किया जा रहा है जिसका कि परिवादी द्वारा किए जा रहे विद्युत के वास्तविक उपयोग के अनुसार नहीं होना प्रतीत होता है । मीटर की जांच किए जाने एवं देयक में सुधार किए जाने की परिवादी की मांग पर भी उत्तरवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 225 दिनांक 17.06.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी को माह मार्च 2026 का देयक परिसर बंद (door lock) के अनुसार प्रेषित किया गया था एवं माह अप्रेल 2026 में दो माह की एकमुश्त खपत 880 यूनिट का देयक जारी किया गया । परिवादी की शिकायत के बाद माह अप्रेल 2026 की खपत को दो माह (मार्च एवं अप्रेल) की वास्तविक खपत के अनुसार बांटकर देयक सुधारा गया एवं परिवादी के देयक में राशि रू. 322.00 का केडिट दिया गया । परिवादी के माह मई 2026 के पूर्व के देयकों में उसके मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के अनुबंधित भार से अधिक होने के आधार पर माह मई 2026 में परिवादी का अनुबंधित भार स्वतः 3.0 KW मानते हुए बिलिंग सिस्टम द्वारा राशि रू. 1600.00 परिवादी के देयक में जोड़ी गयी है । परिवादी को प्रेषित देयक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होने के कारण सही है एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

क. क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित किया गया है ।

ख. परिवादी के माह मई 2026 के देयक में, उत्तरवादी के बिलिंग सिस्टम द्वारा अनुबंधित भार का स्वतः बढाया जाना नियमानुसार है ।

ग. क्या परिवादी से अधिक राशि का देयक प्राप्त होने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक क की विवेचना एवं निष्कर्ष–

6. परिवादी द्वारा फोरम के समक्ष कथन किया गया कि उत्तरवादी द्वारा प्रेषित देयक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत पर आधारित नहीं है । उत्तरवादी द्वारा परिवादी के स्मार्ट मीटर में दर्ज प्रतिमाह की खपत को "मोर बिजली एप" में दिखाते हुए बताया गया कि परिवादी को प्रेषित देयक, उसके मीटर द्वारा प्रत्येक माह में दर्ज की गयी वास्तविक खपत यथा माह मार्च 2026 में 291 यूनिट, माह अप्रेल 2026 में 589 यूनिट एवं माह मई 2026 में 389 यूनिट पर आधारित है । यद्यपि माह मार्च 2026 में door lock की स्थिति में प्रेषित शून्य खपत के देयक को बाद में उस माह की वास्तविक खपत 291 यूनिट के अनुसार संशोधित किया गया है एवं परिवादी के देयक में केडिट

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

दिया गया है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार है एवं सही है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक ख की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी के अनुसार उसके माह मई 2026 के देयक में बिना उसकी जानकारी एवं सहमति के, उसके द्वारा की गयी पूर्व अवधि की खपत के आधार पर, उत्तरवादी द्वारा उसके अनुबंधित भार में वृद्धि कर दी गयी है एवं सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज देयक में जोड़ दिया गया है जो कि अनुचित है । उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि "टैरिफ शेड्यूल 2025–26 की कंडिका 1.1.1 LV-1: Domestic में दर्ज टिप्पणी कमांक (iv) के अनुसार –

(iv) If the Recorded Demand exceeds the Sanctioned Load for any three consecutive months, then the Sanctioned Load shall automatically be restated to the highest demand recorded in these three months. In such cases of upward restatement of Sanctioned Load, the load enhancement charges shall be applicable." के अनुसार SAP System द्वारा स्वतः ही अनुबंधित भार में वृद्धि कर सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज जोड़ दिया गया ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी के माह मई 2026 के देयक में सैप सिस्टम द्वारा अनुबंधित भार में की गयी स्वतः वृद्धि सही एवं टैरिफ शेड्यूल के प्रावधानों के अनुसार है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक ग की विवेचना एवं निष्कर्ष–

8. परिवादी के अनुसार अधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने संबंधी शिकायत उत्तरवादी के समक्ष किए जाने के बाद भी उत्तवादी द्वारा मीटर की जांच एवं देयक में सुधार की कार्यवाही नहीं की गयी । उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि परिवादी की शिकायत प्राप्त होने के बाद दिनांक 15.06.2026 को परिवादी के परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें कुछ संबद्ध भार 2055 वाट पाया गया । परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होना पाया गया । परिवादी के मीटर में दर्ज खपत उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे भार की तुलना में सामान्य खपत है ।

परिवादी द्वारा पूर्व अवधि में मीटर में दर्ज खपत का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि उसके मीटर द्वारा पूर्व में इतनी अधिक खपत कभी भी दर्ज नहीं की गयी है एवं वर्तमान में किए जा रहे उपयोग के अनुसार भी मीटर द्वारा इतनी अधिक खपत का दर्ज किया जाना असामान्य है । उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है

कि यद्यपि परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज खपत के अनुसार होने के कारण सही है तथापि परिवादी यदि अपने परिसर में स्थापित मीटर की कार्यप्रणाली एवं उत्तरवादी द्वारा की गयी मीटर की जांच से संतुष्ट नहीं है तो सप्लाई कोड की कंडिका 8.21 यथा "A consumer may request the licensee to test the meter, if he still doubts its accuracy, by applying to the licensee along with the requisite testing fee." के अनुसार केंद्रीय मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर की जांच किए जाने का आवेदन उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

9. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत हम यह पाते है कि मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार देयक संशोधित किए जाने के बाद परिवादी के देयक में अन्य किसी प्रकार का सुधार किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद खारिज कर निम्नांकित आदेश प्रदान किया जाता है –

परिवादी का देयक, उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होने के कारण सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है । फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि परिवादी द्वारा मीटर की जांच, सक्षम प्रयोगशाला में कराए जाने के संबंध में आवेदन एवं परीक्षण शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में अविलंब मीटर की जांच समक्ष लैब में कराया जाना एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर सप्लाई कोड की कंडिका 8.22 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

11. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

निर्णय घोषित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष